न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 366/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/00212

1. मोती देवी बेवा तेजा पुत्रवधु रामला, जाति बलाई, निवासी वार्ड नं0 4, ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी महोदय उपखण्ड चौमूँ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत हाडौता, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत हाडौता, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर।
3. नन्छी पत्नि स्व० बोदूराम
4. गोपाललाल पुत्र स्व0 काना
5. मदनलाल पुत्र स्व0 काना
6. प्रभाती देवी पुत्री स्व० काना
7. रूकमा देवी पुत्री स्व० काना
8. सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 काना
9. कैलाश पुत्र स्व0 मुरलीधर पौत्र काना
10. मुकेश पुत्र स्व0 मुरलीधर पौत्र काना
11. माली देवी पत्नि मुरलीधर, पुत्रवधु काना,
    समस्त जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 4, ग्राम हाडौता, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर
12. सन्ती पुत्री मुरलीधर पौत्री स्व० काना पत्नि रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी ग्राम बोराज, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, स्टेशन रोड, कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर
14. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

15. सरोज पुत्री स्व० श्री तेजा पौत्री स्व० रामला
16. रामकिशन पुत्र तेजा पौत्र स्व० रामला
    समस्त जाति बलाई, निवासी वार्ड नं0 4, ग्राम हाडौता, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
17. बिदामी पुत्री स्व० रामला पत्नि बद्री, जाति बलाई, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त जयपुर

–परफोमा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर आदेश दिनांक 14.08.2018 अपील संख्या 18/2016 उनवानी मोती देवी बनाम ग्राम पंचायत हाडौता वगै0 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 9 दिनांक 16.04.1962 को नोटप्रेस पर खारिज की गई।

उपस्थित–

1. श्री कैलाश बागडा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 1, 13 व 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू के निर्णय दिनांक 14.08.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । प्रकरण वर्ष 2018 से लम्बित है। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हाडौता, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में आराजी भूमि गत खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 49 रकबा 0.30 हैक्टेयर हैं। उक्त गत खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की भूमि की खातेदारी व कब्जा काश्त अपीलान्ट व परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 15 ता 17 के ससुर/पिता/दादा स्व० रामला व सोना के नाम से थी। जिनमें सोना पुत्र सुखदेव की अविवाहित मृत्यु हो जाने व रामला पुत्र सुखदेव की मृत्यु के पश्चात् आज दिवस तक अपीलान्ट व परफोमा रेस्पोडेन्ट संख्या 15 ता 17 उक्त सम्पूर्ण भूमि पर शामलाती रूप से निरन्तर काबिज काश्त है। ग्राम पंचायत हाडौता के समक्ष गत खसरा नम्बर 105 में से 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्व0 रामला व सोना द्वारा बिना विक्रय पत्र के 60/– रूपये में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 11 के पिता/दादा/ससुर काना जाट को बेचान दर्शाकर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विधि विरूद्ध रूप से दिनांक 10.06.1962 को अपीलाधीन नामान्तकरण भरकर पेश हुआ जिसे दिनांक 16.04.1962 को ग्राम पंचायत हाडौता ने विधि विरूद्ध रूप से व बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकार कर दिया। जिसके बाद राजस्व जमाबन्दी में काना पुत्र बींजा जाट का नाम दर्ज नहीं होने पर उक्त नामान्तकरण तहसीलदार चौमूँ के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस पर बाद जांच तहसीलदार चौमूँ ने यह नोट अंकित किया की अपीलाधीन भूमि अनुसूचित जाति की है, जो सवर्ण जाति द्वारा क्रय की गई है जो कि नियमानुसार गलत है व जमाबन्दी में अमल रोका गया व उच्च अधिकारियों के समक्ष निवेदन किया गया जो कि तहसीलदार की उक्त टिप्पणी दिनांक 12.11.1970 की है, इसके बावजूद भी काना पुत्र बींजा जाट ने व ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों ने आपस में सांठ–गांठ व मिलीभगत करके राजस्व जमाबन्दी में खसरा नम्बर 105 के गलत व विधि विरूद्ध तरीके से नाम दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा मात्र अधिवक्ता ने नोट प्रैस प्लाड करने के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिये अपील नोट प्रैस के आधार पर खारिज फरमा दी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थीया की सहमति व जानकारी के बिना ही अधिवक्ता द्वारा नोट प्रैस अंकित कर दिया गया। जिसकी शिकायत प्रार्थीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं बार काउन्सिल को की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू दिनांक 14.08.2018 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता के नोट प्रैस प्लाड करने के आधार पर ही अपील आगे नहीं चलाये जाने की स्थिति में अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत हाडौता द्वारा खोले गये नामा0 संख्या 9 दिनांक 16.04.1962 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.08.2018 को ऑडरशीट पर नोट प्रेस प्लीड कर हस्ताक्षर किये गये। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली नोट प्रेस में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थीया द्वारा नोट प्रैस में खारिज किये गये आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है जबकि अपीलार्थीया को अपील को पुनः रिस्टोर करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में ही चाराजोही करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2018 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर